राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
जयपुर, दिनांक : 01 OCT 2024

सं. एफ. 4(2)वित्त/कर/2023-99:-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 4(2)वित्त/कर/2023-99 दिनांक 12.09.2024 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,
(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
"अधिसूचना
जयपुर, दिनांक : सितम्बर 12, 2024

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2024-77 दिनांक 10.07.2024 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ 2 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"संनिर्माण के साथ या बिना किसी भूमि के संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन उस भूमि के संबंध में किसी दस्तावेज या विलेख के रजिस्ट्रीकृत किये जाने से पूर्व निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत।";

(ii) टिप्पण 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "पट्टाधारक, क्रेता या आदाता उसके पट्टा विलेख, विक्रय विलेख या, यथास्थिति, दान विलेख के साथ" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पट्टेदार या प्राप्तिकर्ता उसके पट्टा विलेख या किसी अन्य दस्तावेज या, यथास्थिति, विलेख के साथ" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) टिप्पण 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसा पट्टा विलेख, विक्रय विलेख या, यथास्थिति, दान विलेख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसा पट्टा विलेख या दस्तावेज या, यथास्थिति, विलेख" प्रतिस्थापित की जायेगी।

सं. एफ. 4(2)वित्त/कर/2023-99
राज्यपाल के आदेश से,
ह0
(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आसाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) मे प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग ।
8. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग ।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव